जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,ऊना

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 359-387 डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 28-04-2021

ज़िला ऊना में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों और निरंतर हो रही मृत्यु के आंकड़ों को देखते हुए इस कार्यालय के आदेश संख्या 1579-1605/ डी.आर.ओ/ रिलीफ दिनांक 27.03.2021 के संशोधन में, मैं, राघव शर्मा, भा.प्र.से, ज़िला दंडाधिकारी ऊना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश ज़ारी करता हूँ:

(i) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त ज़िला ऊना में शादी के पब्लिक फंक्शन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त शादी पर किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

(ii) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त शादी के लिए वर और वधु दोनों पक्षों से वर-वधु को मिलाकर कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी जिसके दायरे को किसी भी प्रकार की स्टैगरिंग से बढाया नहीं जा सकता। निकटतम सम्बन्धियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति भीड़ बढाने के लिए शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।

(iii) शादी में किसी भी प्रकार के डी.जे. की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(iv) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त हो रही सभी शादी जिनकी अनुमति दी जा चुकी हैं वे सभी अनुमति इन नियमों के अनुसार संशोधित समझी जाएगी । यह सभी अनुमतियाँ 20 लोगों तक सीमित मानी जाएंगी और पब्लिक फंक्शन और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी । उपमंडल अधिकारी (ना.) आयोजक को इस आदेश की शर्तों से लिखित नोटिस के माध्यम से अवगत करवाएंगे ।

(v) हाई लोड कोविड-19 राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने आ रहे सभी वर/ वधु और सगे-सम्बन्धी अपना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ लाएंगे और ज़िला के बॉर्डर नाके पर दिखाएंगे।

(vi) हाई लोड कोविड-19 राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि में हो रही शादी में जा रहे सभी वर/ वधु और सगे-सम्बन्धी ज़िला में लौटकर घर पर क्वारंटीन रहेंगे और अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे।

(vii) शादी के लिए सभी अनुमतियाँ इन शर्तों के अनुरूप ही दी जाएंगी।

Scanned with CamScanner

(viii) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त हो रही सभी शादी का विवाह-पंजीकरण उपमंडल अधिकारी (ना.) द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना सम्बन्धी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा । आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी उपमंडल अधिकारी (ना.) को साक्ष्य स्वरुप दिखाने के लिए रखें।

(ix) सभी लोग शादी घर पर ही सादगीपूर्वक करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उपमंडल अधिकारी (ना) द्वारा उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा तथा सभी उप-मंडलाधिकारी (ना.), खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार और उप-मंडलाधिकारी (ना.) द्वारा विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई शुरू करने हेतु अधिकृत होंगे।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
4. समस्त उपमंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
6. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
7. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
8. समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, ऊना, मैहतपुर, संतोखगढ़, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
9. समस्त सचिव, नगर पंचायत, गगरेट, दौलतपुर चौंक, अम्ब, टाहलीवाल, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को जिला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।

(राघव शर्मा, भा.प्र.से)
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

Scanned with CamScanner